तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/22	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 29/7/25 को पेश हो।	
29/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महो० राजकार्य में व्यस्त है। मिसल साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19.08.25 को पेश हो। रीडर	
19/8/25	वकुलाप उपस्थित। P.O.सा. अवकाश पर है। मिसल वास्ते बहस दिनांक 16/9/25 को पेश हो।	
16/9/25	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 6.10.25 को पेश हो।	
06.10.25	वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 13.10.25 को पेश हो।	
13/10/25	वकुलाप उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अनुमति धारा 17(A) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 पेश किया गया था। पत्रावली पर तहसील बून्दी से प्राप्त आंवटन पत्रावली	

जिला कलेक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण में आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम नयागांव द्वारा ग्राम झरबालापुरा की आराजी खसरा सं. 1289 रकबा 10 बीघा भूमि का दिनांक 04-11-1977 को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबंधी) नियम 1957 के अधीन आवंटन किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि का आवंटन धारा 22 के तहत आवंटन आथोरिटी द्वारा निरस्त किये जाने का प्रावधान निहित है। धारा-22 Powers of Cancellation -If at any time, it is discovered that any allotement of Government land was made under these rules upon an incorrect statement of facts made in the application or in the affidavit or any document produced by an allottee, the Allotting Authority may order cancellation of such Allotment and may also order re-entry upon and taking Possession of the land without payment of any Compensation.

जिला कलेक्टर; बून्दी

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय नियम 1957 की धारा 22 के तहत विवादित आंवटन निरस्ती की कार्यवाही आंवटन आथोरिटी के समक्ष पेश की जानी चाहिए थी। जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आंवटन नियम से भिन्न नियमों के तहत तथा सक्षम न्यायालय के बजाय अन्य न्यायालय में पेश की गई है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण इस न्यायालय में पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण आंवटन नियमान्तर्गत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही पेश किये जाने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल आंवटन पत्रावली वापस लौटाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

जिला कलेक्टर, बून्दी